मानसून की बेरूखी | जिले में अब तक 828 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड

पिछले साल के मुकाबले 188 .7 मिमी कम वर्षा

जबलपुर । मानसून की बेरूखी के चलते जिले में इस वर्ष एक जून से अभी तक 828 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की औसत वर्षा से 188.7 मिलीमीटर कम है। जिले में पिछले वर्ष एक जून से चार सितम्बर तक 1016.7 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई थी।

भू-संसाधन प्रबंधन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार जिले में एक जून से चार सितम्बर तक हुई वर्षा जिले की वार्षिक सामान्य वर्षा का लगभग 64 फीसदी है एवं पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान हुई वर्षा से 18.57 प्रतिशत कम है। जिले की वार्षिक सामान्य वर्षा 1254.3 मिलीमीटर है।

कुंडम में सर्वाधिक, करौंदी में सबसे कम बारिश

कलेक्टर कार्यालय की भू-संसाधन प्रबंधन शाखा के अनुसार एक जून से एक सितम्बर तक जिले के वर्षा मापी केन्द्र मौसम केन्द्र जबलपुर में 701.4 मिमी, बरगी में 618.3 मिमी, बरेला में 775.8 मिमी, पनागर में 651.3 मिमी, कुंडम में 1090.8 मिमी, पाटन में 895.7 मिमी, शहपुरा में 948.4 मिमी, सिहोरा में 1002 मिमी, मझौली में 1043.2 मिमी और वर्षा मापी केन्द्र करौंदी (रांझी) में 552.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

गत वर्ष इन्हीं वर्षा मापी केन्द्रों में से जबलपुर मौसम केन्द्र स्थित वर्षा मापी केन्द्र में 1049.6 मिमी, बरगी में 1002.1 मिमी, बरेला में 873.6 मिमी, पनागर में 931.9 मिमी, कुंडम में 1221.6 मिमी, पाटन में 1146.4 मिमी, शहपुरा में 1147.1 मिमी, सिहोरा में 565.6 मिमी, मझौली में 1073 मिमी और वर्षा मापी केन्द्र करौंदी (रांझी) में 856.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी।

नर्मदा उफनाई, घाट जलमग्न, तिलवारा छोटा पुल डूबा

रानी अवंति बाई लोधी सागर परियोजना बरगी बाँध के जल स्तर को नियंत्रित करने बाँध के 13 गेट 1.96 मीटर तक खोले गए है । 3 हजार 802 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिसके चलते गौरी घाट, नाव घाट, उमाघाट जलमग्न हो गए। ग्वारीघाट नर्मदा मंदिर डूब गया है दुकानों तक पानी भर गया है। बांध से जल निकासी की मात्रा बढ़ाने से माँ नर्मदा के घाटों पर 8 से 10 फीट पानी की बढोत्तरी होने की संभावनाहै। इसके साथ ही तिलवारा का छोटा पुल डूब गया है। नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला, समेत पिपरिया में भी नर्मदा उफान पर है।

दिव्यांग महिला कर्मचारी को प्रदान करो इंक्रीमेंट

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने एकलपीठ की उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को एक दिव्यांग महिला कर्मचारी को टाइपिंग टेस्ट पास नहीं करने बावजूद भी इंक्रीमेंट देने के निर्देश जारी थिके थे। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान में कम्प्यूटर से कार्य किया जाता है। सरकार की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि एकलपीठ का उक्त आदेष इंक्रीमेंट देने से दूसरे कर्मचारियों के लिए बिना ज़रूरी योग्यता के भी वेतन में ऐसी ही बढ़ोतरी की मांग करने का एक उदाहरण बन सकता है। युगलपीठ ने सरकार के तर्क को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि इंक्रीमेंट देने से कोई गलत उदाहरण बनने की आशंका पूरी तरह से बेबुनियाद है। याचिकाकर्ता कुमारी संजू यादव और 24 अन्य दिव्यांग कर्मचारियों के मामले पर सरकार ने 15 अप्रैल, 1999 के आदेश के ज़रिए सहानुभूति के आधार पर नियुक्ति देने के लिए सभी शर्तों में छूट देते हुए एक विशेष मामले के तौर पर पुनर्विचार किया था।

प्रमोशन में आरक्षण पर अब एक दिसंबर को होगी सुनवाई

जबलपुर । प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में बनाए गए नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख एक दिसंबर निर्धारित की है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में बनाए गए प्रमोशन में आरक्षण संबंधी नए नियमों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। भोपाल की वेटरनरी सर्जन डा. स्वाति तिवारी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने नए नियमों की वैधानिकता और उनके प्रभाव को चुनौती दी है।

इससे संबंधित आरबी राय का एक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। पूर्व में हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन मामलों की सुनवाई स्थगित रखने

के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देशों पर विचार करने के बाद युगलपीठ ने हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं की सुनवाई आगे बढ़ाने के बजाय अगली सुनवाई एक दिसंबर के लिए तय कर दी। अब अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में लंबित संबंधित प्रकरण की स्थिति और वहां से प्राप्त निर्देशों का असर महत्वपूर्ण रहेगा। इसके आधार पर हाई कोर्ट आगे की न्यायिक प्रक्रिया की दिशा तय करेगा।

आवेदन तिथि से हर माह भुगतान करनी होगी भरण - पोषण की राशि

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रेणु खेस की अदालत भरण - पोषण संबंधी मामले में आवेदिका के पक्ष में राहतकारी आदेश दिया है। अदालत ने अनावेदक पति मनीष कोरी को निर्देशित किया है कि उसे आवेदन दिनांक से आवेदिका आरती को प्रतिमाह तीन हजार रुपए की भरण - पोषण राशि का भुगतान करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनावेदक को हर माह की 10 तारीख से पूर्व उक्त राशि का भुगतान करना होगा।यह मामला पनागर निवासी आरती कोरी ने अधिवक्ता संजय शर्मा के माध्यम से दायर किया था। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री शर्मा ने अदालत को बताया कि आवेदिका आरती कोरी का विवाह हिंदू रीतिरिवाज से गोसलपुर निवासी मनीष कोरी के साथ अप्रैल 2024 में हुआ था। विवाह के कुछ रोज बाद दूसरी विदा पर ससुराल पहुंचने पर आवेदिका के साथ उसका पति मनीष व ससुराल के अन्य सदस्य दहेज की डिमांड करने लगे, कम दहेज मिलने की उलाहना देते हुए आवेदिका आरती को प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नहीं उसका पति मोटर साइकिल और पिता का मकान अपने नाम कराने की जिद कर मारपीट करने लगा। जिससे प्रताड़ित होकर पीड़िता विवाह के 4 माह बाद ही अपने मायके में आकर रहने लगी और आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। जिस पर भारतीय न्याय संहिता - 144 के तहत भरण - पोषण राशि दिलाने उक्त आवेदन पेश किया गया है।

विमानन मंत्री से पुणे-अहमदाबाद की सीधी उड़ान के लिए मिले सांसद

विभिन्न एयरलाइंस से संपर्क कर रूट शुरू कराने की प्रक्रिया जारी

नवभारत,जबलपुर। जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सांसद आशीष दुबे लगातार प्रयासरत हैं। जबलपुर से पुणे और अहमदाबाद के लिए सीधी विमान सेवा शुरू कराने को लेकर सांसद आशीष दुबे ने विभिन्न विमानन कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की है,इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापु राममोहन नायडू से भी भेंट कर इन दोनों महत्वपूर्ण शहरों के लिए जबलपुर से नियमित उड़ान शुरू किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।इस मौके पर सांसद ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश को बहुमुखी सौगात मिल रही हैं। जबलपुर को इसका लाभ सतत मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। सांसद का मानना है कि जबलपुर और पूरे महाकौशल क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं पर्यटन विकास के लिए बेहतर हवाई कनेक्टिविटी अत्यंत आवश्यक है। पुणे और अहमदाबाद देश के प्रमुख औद्योगिक एवं कारोबारी केंद्र हैं। इन शहरों से सीधा हवाई संपर्क बनने से जबलपुर के व्यापारियों, उद्योगपतियों, विद्यार्थियों, मरीजों और नौकरी-पेशा लोगों को बड़ी सुविधा मिल सकती है।

सैनिटरी व्यापारी से 27 लाख की ठगी, वेंडर बनकर भेजा था फर्जी मेल, प्रकरण दर्ज

जबलपुर। ईमेल स्पूफिंग के जरिए सैनिटरी व्यापारी को जालसाजों ने निशाना बनाते हुए 27,05,690 रुपये की चपत लगाई। ठगों ने व्यापारी के पुराने बिजनेस वेंडर की फर्जी ईमेल आईडी बनाकर बैंक खाता बदलने का झांसा दिया और पूरी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। पीड़ित की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने शुक्रवार को प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ।

पुलिस के मुताबिक, आदर्श नगर ग्वारीघाट निवासी महत चावला (22) मदनमहल स्थित गुरूवाणी बिल्डिंग में मेसर्स विजय सेल्स एंड सेनेटरीवेयर्स नाम की फर्म संचालित करते हैं। उनकी फर्म पिछले 16 वर्षों से इंदौर की एम.वी. पटेल एण्ड कम्पनी से जगुआर कंपनी के सैनिटरी उत्पाद खरीद रही है। दोनों फर्मों के बीच सालों से लेनदेन और पत्राचार ईमेल के माध्यम से ही होता आ रहा था, जिसका फायदा अपराधियों ने उठाया। पीड़ित को हूबहू वेंडर कंपनी जैसी दिखने वाली ईमेल आईडी से एक मेल मिला। इसमें दावा किया गया कि कंपनी ने अपना बैंक खाता बदल लिया है और अब आगामी सभी पेमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की

महालक्ष्मी टॉवर शाखा के नए खाते में जमा किए जाएं। भरोसे को पक्का करने के लिए मेल के साथ जाली दस्तावेज भी संलग्न थे। पुराने व्यापारिक संबंधों के कारण पीड़ित ने बिना किसी संदेह के कुल 27,05,690 की रकम उस फर्जी खाते में ट्रांसफर कर दी।

लेजर स्टेटमेंट आते ही उड़े होश

धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब अप्रैल का महीना खत्म होने पर असली वेंडर कंपनी ने पीड़ित को लेजर स्टेटमेंट भेजा। इस स्टेटमेंट में पीड़ित द्वारा भेजी गई 27 लाख रुपये की राशि का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब पीड़ित ने इंदौर फोन कर वेंडर से बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है।

दोबारा आया मेल, तब खुला राज

जब शातिर ठग ने दोबारा एक मेल भेजकर बैंक खाते को सेविंग से करंट में बदलने के लिए कहा। इस बार संदेह होने पर पीड़ित ने जब कंपनी के मुख्य अधिकारियों से फोन पर सीधे बात की, तो कंपनी ने बताया कि उनका बैंक खाता कभी बदला ही नहीं गया। इसके बाद व्यापारी को समझ आया कि वे एक सोची-समझी साइबर साजिश का शिकार हो चुके हैं। गोरखपुर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

साइबर फ्रॉड : छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची जबलपुर

जबलपुर। ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने जबलपुर में छापेमारी की है। सिहोरा पुलिस के सहयोग से दो संदेहियों को हिरासत में लिया है जिनसे थाने में कड़ाई से पूछताछ की जा रही है । सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में दर्ज एक साइबर ठगी के मामले की जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध बैंक खातों का पता चला था। जब इन खातों के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को खंगाला गया, तो इनके तार सीधे जबलपुर से जुड़े मिले। साइबर ठगी की रकम को जबलपुर के भी कुछ खातों में ट्रांसफर की गई थी। इसी मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस जबलपुर पहुंची है। इसके बाद सिहोरा में दबिश दी। जिसके बाद दो संदेहियों को हिरासत में लेकर थाने लेकर आ गई जहां दोनों से सघन पूछताछ की जा रही है। दोनों संदेही सीधे तौर पर इस साइबर ठग गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं या फिर इन्होंने कमीशन या चंद पैसों के लालच में आकर अपने बैंक खाते ठगों को इस्तेमाल करने के लिए दे दिए थे या फिर उनके खाते फर्जी तरीके से खोले है समेत अन्य बिन्दुओं पर जांच की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर छत्तीसगढ़ ले जाने की तैयारी की जा रही है।

पांच माह में पश्चिम मध्य रेल ने लादा 24 .56 मिलियन टन माल

जबलपुर। माल ढुलाई बढ़ाने की कोशिशों का असर अब पश्चिम मध्य रेल के फ्रेट लोडिंग आंकड़ों में नजर आने लगा है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों में पश्चिम मध्य रेल ने 24.56 मिलियन टन ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 23.07 मिलियन टन के मुकाबले 6.45 प्रतिशत अधिक है। जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडलों में नए माल यातायात की संभावनाएं तलाशने, मौजूदा लोडिंग बढ़ाने और माल परिवहन की लगातार समीक्षा के लिए अधिकारियों की ओर से किए जा रहे प्रयासों को इस वृद्धि की वजह माना जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर मंडल के न्यू कटनी जंक्शन-सिंगरौली सेक्शन स्थित मझौली स्टेशन पर नया गुड्स शेड शुरू किया गया है, जहां अगस्त में पहली कोयला रेक का सफल लदान भी हुआ। नए शेड से क्षेत्र के खनिज संसाधनों को रेल के जरिए परिवहन मिलने के साथ फ्रेट कारोबार को और गति मिलने की उम्मीद है। माल ढुलाई में बढ़ोतरी के लिए पश्चिम मध्य रेल ने इंफ्रास्ट्रक्चर और परिचालन क्षमता मजबूत करने पर भी जोर दिया है। नई रेल लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण-तिहरीकरण, रेलखंडों की क्षमता विस्तार और गुड्स टर्मिनलों की कार्यप्रणाली में सुधार के जरिए मालगाड़ियों का डिटेंशन घटाने की कोशिश की जा रही है।

रेल के ज़रिए भेजा जाए सामान

माल गोदामों में 24 घंटे लोडिंग-अनलोडिंग, नए गुड्स शेड के विकास, मौजूदा टर्मिनलों के उन्नयन और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल व साइडिंग की क्षमता बढ़ाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही व्यापारियों और ग्राहकों से सीधे समन्वय कर रेलवे की फ्रेट प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर है।

ओवरटेक के चक्कर में बाइक को मारी टक्कर, 2 घायल

जबलपुर। पाटन रोड पर शुक्रवार दोपहर ओवरटेक के चक्कर में कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी । हादसे में दो घायल हो गए । पुलिस के मुताबिक मोहन चौधरी 36 वर्ष निवासी करमेता माढ़ोताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शुक्रवार को वह एवं कमलेश सिंह एक मोटर सायकल में तथा दूसरी मोटर सायकल क्रमांक एमपी 20 एनई 7194 में अरविंद सिंह व राजकुमारी जबलपुर से तेंदुखेड़ा दमोह जा रहे थे दोपहर लगभग 1 बजे पाटन रोड गुरू पिपरिया के पास पहुँचे तभी जबलपुर तरफसे कार क्रमांक एमपी 20 एमडी 0099 का चालक तेज गति लापरवाही से चलाते हुये उसकी मोटर सायकल को ओवरटेक करते हुये अरविन्द सिंह की मोटर सायकल में टक्कर मार दिया जिससे अरविन्द सिंह व राजकुमारी को चोटें आ गई।

नाले पर पक्के मकान-दुकान बनाने का आरोप

मंडला का मामला, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर। मंडला शहर में सरकारी नालों पर पक्के मकान और दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। मंडला निवासी समाजसेवी नंदलाल बड़कड़े और साजिद अली ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि शहर के कई सरकारी नालों के ऊपर पक्के निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने न्यायालय को बताया कि पिछले करीब दो वर्षों से नालों पर लगातार निर्माण हो रहे हैं और शहरवासियों की शिकायतों के बावजूद नगर पालिका तथा प्रशासन ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। याचिका में कहा गया कि नागरिकों ने नगरपालिका से लेकर कलेक्टर और पुलिस प्रशासन तक शिकायत कीं, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि स्वयं नगरपालिका ने नाले पर अतिक्रमण करने वालों की सूची तैयार की थी, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी।न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत फोटोग्राफी में नाले के ऊपर दुकानें और अन्य निर्माण दिखाई देने का दावा किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

रेलवे में गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा

जबलपुर। रेलवे स्टेशनों, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जबलपुर रेल मंडल ने सख्ती बढ़ा दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए जा रहे अभियान में अब तक 2097 यात्रियों पर रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इन मामलों से रेलवे को करीब 4 लाख 20 हजार 200 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। अकेले अगस्त माह में ही 726 यात्री गंदगी फैलाते पकड़े गए, जिनसे करीब 1 लाख 45 हजार 200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, ट्रैक क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई। रेल प्रशासन की ओर से लगातार उद्घोषणाओं, पोस्टर, डिजिटल डिस्प्ले और जागरूकता अभियानों के जरिए यात्रियों से कचरा डस्टबिन में डालने की अपील की जा रही है, इसके बावजूद नियम तोड़ने वालों पर अब सीधे कार्रवाई की जा रही है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा।

हादसा टला | सुरक्षा गश्त के दौरान टला बड़ा हादसा, सभी सुरक्षित, बोट पलटने का वीडियो वायरल

नर्मदा के तेज बहाव में पलटी होमगार्ड की मोटर बोट

जबलपुर। ग्वारीघाट पर नर्मदा नदी में पेट्रोलिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नदी में गश्त कर रही होमगार्ड की मोटर बोट अचानक पानी के तेज बहाव के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत यह रही कि सभी लाइफ जैकेट पहने हुए थे। जिसके चलते बोट पर सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित निकल गए। बोट पलटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके साथ ही आरोप है कि बोर्ड में 6 की क्षमता थी जबकि उसमें 15 से 16 लोग सवार थे। साथ ही आरोप है कि ऑपरेटर नशे में था।

प्रारंभिक जांच में नाव चालक की लापरवाही सामने आई है। जानकारी अनुसार बरगी बांध के गेट खुलने और मानसूनी बारिश के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और पानी का बहाव बेहद तेज है। ग्वारीघाट घाट पर आने वाले श्रद्धालु अनजाने में गहरे पानी की तरफ न जाएं और किसी दुर्घटना का शिकार न हों, इसी की निगरानी के लिए होमगार्ड की टीम पेट्रोलिंग पर निकली थी। लोगों को गहरे पानी से दूर रहने की हिदायत दे रहे थे। गश्त के दौरान जब बोट नदी के बीच में थी, तभी दोपहर करब साढ़े तीन बजे पानी के एक जोरदार और तेज बहाव के थपेड़े से बोट का संतुलन बिगड़ गया। जब तक होमगार्ड का स्टाफ संभल पाते, बोट पानी में पलट गई। बोट पलटते ही हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि पेट्रोलिंग टीम में शामिल सभी जवान कुशल तैराक थे। नियमानुसार सभी ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी जिसके बाद सभी सुरक्षित किनारे पर आ गए।

इंजन में खराबी की भी चर्चा

नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। प्राथमिक जांच मेंचालक की लापरवाही सामने आई है। बोट के इंजन में खराबी आने की भी चर्चा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है जांच के बाद ही कारण पता चल सकेगा।

कुछ खुद तो कुछ को नाविकों ने निकाला

नर्मदा नदी के बीच बहाव में बोट डूबने से अफरा-तफरी मच गई थी। कुछ जवान तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गए थे जबकि कुछ को मौके पर मौजूद स्थानीय नाविकों ने बाहर निकाला है। सभी सुरक्षित हैं।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57